न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**

आई.ए.एस

प्रार्थीगण	*बनाम*	*अप्रार्थीगण*
1.उकाजी पुत्र पेलाजी पुरोहित 2.प्रताप पुत्र कपूराजी पुरोहित 3.डूंगाराम पुत्र सूरताराम जाति रेबारी 4.चुन्नीलाल पुत्र दीपाजी जाति सुथार 5.जबराराम पुत्र चमनाजी जाति पुरोहित निवासीगण पावटी ग्राम पंचायत डोरडा पंचायत समिति जसवंतपुरा जिला जालोर		1.श्री भेराराम पुत्र वेनाजी जाति मेघवाल निवासी पावटी ग्राम पंचायत डोरडा पंचायत समिति जसवंतपुरा जिला जालोर 2.ग्राम पंचायत डोरडा जरिये,सरपंच ग्राम पंचायत डोरडा पंचायत समिति जसवंतपुरा जिला जालोर

प्रकरण पंचायत निगरानी संख्या *05/2018*

रिविजन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत् ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 10.06.1999 को स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 3 व पट्टा दिनांक 15.09.1999 निरस्त (खारिज)करने बाबत

....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

1-श्री नैनसिंह राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थीगण

2-श्री निखिल दवे अभिभापक अप्रार्थी संख्या 1

3.रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:-08.01.2020

प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत डोरडा के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.1999 ग्राम पंचायत डोरडा के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उपरोक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जांच के दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। वांछित रेकार्ड भी तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दस्जावेज प्रस्तुत किये गये। संबंधित अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 भैराराम ने ग्राम पावटी में ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 10.06.1999 को प्रस्ताव संख्या 3 व अनुसार अपने हक में रियायती दर पर भूखण्ड आंवटन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बताया गया तथा पट्टा दिनांक 15.09.1999 को अपने हक में जारी होना बताया है तथा उस पट्टे को लेकर हम प्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध गलत ढंग से राज्य सरकार की भूमि खसरा नंबर 385 पर कब्जा करने की कोशिश की गई जो बिल्कुल ही गलत है।अप्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है।जो पट्टा जारी किया जाना बताया है जो बिल्कुल ही फर्जी व कुटरचित दस्तावेज है, जो नियामनुसार जारी नही किये जाने से निम्न आधारो पर काबिल निरस्त है।अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 10.06.1999 को ग्राम पंचायत डोरडा में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया।उसी दिन ग्राम पंचायत डोरडा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना कोई मौका जांच किये बिना कोई पंचो की कमेठी से मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना पटवारी हल्का से भूमि की किस्म के संबंध में बिना कोई जांच रिपोर्ट या राय लिये 5/-रुपये वर्गगज के हिसाब से पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 3 स्वीकृत किया गया जो बिल्कुल

ही गलत है।अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसे नियमानुसार दर्ज कर पत्रावली कायम तीन वार्ड पंचो की कमेटी नियुक्त कर उससे मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक था तथा उसके बाद आवंटन किये जाने वाले भूखण्ड पर ग्राम पंचायत पर आपत्ति इस्तिहार लगवाये जाकर उजर ऐतराज प्राप्त करने थे।जिस आज्ञापक नियमो की पालना नही कर पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.1999 को स्वीकृत कर दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी किया गया है, जो पट्टा बिल्कुल ही गैर कानूनी व नियम विरूद्ध होने से काबिल खारिज है।उक्त प्रस्ताव में किस नाप तोल का पट्टा देने का प्रस्ताव पारित किया गया है।कही कोई उल्लेख नही है।जिससे प्रस्ताव काबिल खारेज है व पट्टा काबिल खारिज है।प्रार्थी द्वारा पट्टे में पडौस बताये जाकर सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में जो दावा पेश किया है उस दावे में न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट भी मगवाई गई है जिस मौका रिपोर्ट में मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा होना नही पाया गया है।पट्टा किस खसरा नंबर में जारी किया गया उसका भी कोई उल्लेख पंचायत के प्रस्ताव व पट्टे में नही है।जिससे पट्टा काबिल खारिज है।उक्त अप्रार्थी के पट्टे में निःशुल्क शब्द को काटकर अतिरिक्त ईबारत रियायती दर पर जोड़ा गया है तथा विक्रय विलेख के पद संख्या 2 व 3 में कांट छांट की गई है जिस पर भी विक्रय विलेख जारी करने के प्राधिकारी के हस्ताक्षर नही है तथा उक्त पट्टा की पुश्त पर पडौस बाबत लिखी गई दिशाओ में तथा पडौस के नाम में कांट छांट की गई है।जिससे पट्टा काबिल खारिज है।अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जो विक्रय विलेख दिनांक 15.09.1999 को जारी किया गया है उस पर स्वंय आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर ही नही है।कानूनन सम्पति अन्तरण अधिनियमो के प्रावधानो के तहत विक्रय विलेख निष्पादन के लिये दोनो पक्षकार विक्रेता व क्रेता के हस्ताक्षर आवश्यक है।जब तक विक्रेता द्वारा निष्पादित दस्तावेज को क्रेता स्वीकार नही करता तब तक ऐसा दस्तावेज शून्य है व कानूनन उसका कोई महत्व व मूल्य नही है जिससे उक्त विक्रय अपूर्ण होने से पट्टा काबिल खारिज है।अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी विक्रय विलेख (पट्टे)पर ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नही है जो कानूनन आवश्यक है।विक्रय विलेख पर न तो पट्टा संख्या अंकित है न ही कोई मिसल संख्या ही अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि पट्टा आवंटन हेतु न तो कोई मिसल कायम की गई और न ही नियमो की कोई पालना ही की गई तथा न ही पटवारी हल्का से या वार्ड पंचो से कोई रिपोर्ट ही मांगी गई इसका उल्लेख न तो पट्टे में है तथा न ही नियमो में उल्लेखित प्रावधानो की पालना नही की है, यहा तक कि भूखण्ड आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी का कहीं कोई अन्य मकान या प्लॉट पंचायत क्षेत्र में नही होने बाबत शपथ पत्र ही लिया है।आज्ञापक प्रावधानो की पालना नही करने से दिनांक 10.06.1999 का प्रस्ताव संख्या 3 बिल्कुल ही गैर कानूनी व अवैध होने से काबिल खारिज है तथा उसके आधार पर दिनांक 15.09.1999 को जारी किया गया विक्रय विलेख (पट्टा)काबिल खारिज है।अप्रार्थी के पक्ष में जारी आबादी भूमि के विक्रय विलेख पट्टा के पद संख्या 8 में यह शर्त है कि इस भूमि पर आंवटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झौंपड़ा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा।विक्रय विलेख दिनांक 15.09.1999 को जारी किया है जिस पर 13 वर्ष का लम्बा समय बितने के बावजूद न तो अप्रार्थी संख्या 1 का वहां पर कोई कब्जा रहा है और न कोई निर्माण किया है। पट्टे में बताई गई भूमि मौके पर बिल्कुल ही खाली पडी है जिसमें गायो के पानी पीने की पोकली चारा रखने का टांका बना हुआ है तथा भूमि गायो की आखरी के रूप में कदीम से काम आ रही है।अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में दावा पेश किया जिसमें जो पडौस पट्टे में बताये है उन पडौसियो की भूमि तो खसरा नंबर 385 रकबा 3.12 हैक्टर की भूमि है जो भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज भूमि पंगडडी़या तथा रास्ते

की भूमि है जो गैर मुमकिन है जिस भूमि पर गायों की आखरी है तथा राज्य सरकार की भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत का कोई कानूनी हक नही है जिसका पट्टा जारी करना बताया है वह भूमि खसरा नंबर 385 की भूमि है जो कभी भी ग्राम पंचायत डोरडा के खाते में न तो दर्ज रही न ही आबादी भूमि है।ग्राम पंचायत डोरडा अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज राजकीय भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटित विकय करने का कतई अधिकार प्राप्त नही है, बिना अधिकार क्षेत्र के जारी किया गया पट्टा व प्रस्ताव काबिल निरस्त है।अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन के बाद कब कब्जा भौतिक रूप से सुपुर्द किया गया ग्राम पंचायत में कोई फर्द कब्जा सुपुर्द नही है,न ही पट्टे में कोई कब्जा सुपुर्द करने का उल्लेख ही है।मौके पर भूमि बिल्कुल खाली है।कानूनी आवंटन के दो साल में निर्णय किया जाना आवश्यक था जो नही किये जाने से पट्टा काबिल निरस्त है।अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी कर्मचारी है जो अध्यापक है,इस कारण उन्हे रियायती दर पर किया गया भूमि आवंटन काबिल निरस्त है।अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायाधीश भीनमाल के न्यायालय में पेश किये दावाना विविध मुकदमा नंबर 37/2018 में न्यायालय द्वारा मौके कमिश्नर नियुक्त कर वादग्रस्त स्थल का मौका निरीक्षण दिनांक 03.08.2018 को किया गया है।जिस मौका रिपोर्ट की नकल साथ में पेश है।जिसमें विकय विलेख में बताई जा रही भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा नही है वहां मौके पर श्री महादेव गोवर्धन गौ धाम पावटी का लोहे का बोर्ड लगा है तथा एक छप्पर बना हुआ है तथा लोहे की एंगल लगाकर लोहे की चद्दरे लगाकर छप्पर बनाया हुआ है तथा गायो के पानी पीने के लिये पानी का होद बना हुआ है होद पर जय गाय माता की आखरी लिखा हुआ है तथा अन्दर गाये इधर उधर घुम रही है।मौके पर कही पर प्लॉट के निशान नही है मौके पर चारा पडा है।आवंटन की जाने वाली भूमि तथा पट्टे में बताई जाने वाली भूमि पर गायो की गौशाला व आखरी वर्तमान में स्थित है अप्रार्थी का कोई कब्जा नही होने से पट्टा काबिल खारिज है तथा दिनांक 10.06.1999 को ग्राम पंचायत द्वारा लिया हुआ प्रस्ताव संख्या 3 काबिल खारिज है।अप्रार्थी संख्या 2 ने एक ही दिन दिनांक 10.06.1999 को आवंटन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थना पत्र लिया तथा उसी दिन बिना कोई मौका देखे व जांच किये प्रस्ताव संख्या 3 स्वीकृत कर रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें आवंटन किये जाने वाले प्लॉट का कोई नाप व तौल ही नही है इस कारण प्रस्ताव स्वीकृत करने की पूरी कार्यवाही व पट्टा जारी करने की पूरी कार्यवाही बिना आज्ञापक प्रावधानो की पालना किये हुई है जिससे काबिल खारिज है।प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी भी एक दिन भी कब्जा नही रहा इस कारण हमें उक्त पट्टे के बारे में कोई जानकारी नही हो सकी ।अप्रार्थी ने अपनी अनुसूचित जाति का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर गलत कब्जा करने की नियत से सिविल न्यायालय में दावा किया व दिनांक 03.08.2018 को सिविल न्यायालय से मौका कमिश्नर मौका देखने आये तब कार्यवाही का पता लगा उसके बाद भीनमाल न्यायालय में जाकर वकील का पता लगाया तो फर्जी पट्टे बनने का पता लगा तब ग्राम पंचायत से गौशाला के कार्यकर्ता मुख्य प्रार्थी जबराराम ने दिनांक 05.10.2018 को पट्टे की नकल व प्रस्ताव की नकल मांगी जो नकले दिनांक 15.10.2018 को पट्टे की नकल व प्रस्ताव की नकल मांगी जो नकले दिनांक 15.10.2018 व दिनांक 25.10.2018 को प्राप्त हुई नकले प्राप्त करने पर फर्जी रूप से विकय विलेख अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी करने का ज्ञान हुआ जिस पर परन्तु रिविजन प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है जो प्रस्ताव स्वीकृत करने व पट्टा जारी करने का पूर्णतया ज्ञान होने की तारीख से अन्दर म्याद पेश है।विकय विलेख आवंटन करने के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.1999 को हमारी गैर हाजरी में स्वीकृत हुआ व पट्टा दिनांक 15.09.1999 को जारी हुआ है जिसका हमें कतई ज्ञान नही था वैसे भी उक्त प्रस्ताव व पट्टा बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से

सरकारी जमीन पर बिना कोई जांच किये जारी किया हुआ होने से प्रारंभीकिया वोइड है जिसे निरस्त कराने हेतु म्याद कोई बाधा नही है।प्रार्थीगण ग्राम पावटी के मूल निवासी है तथा ग्राम पावटी के व श्री महादेव गोवर्धन गौ धाम पावटी के प्रतिनिधि है इस कारण आम गांव के हित में प्रतिनिधि की हैसियत से उक्त रिविजिन प्रार्थना पत्र जनहित में पेश है तथा हमे प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी अधिकार क्षेत्र है.

अत: रिविजन प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 10.06.1999 को स्वीकृत किया गया पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 3 निरस्त फरमाया जावे।तथा उक्त प्रस्ताव के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया विक्रय विलेख (पट्टा)दिनांक 15.09.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को विस्तृत रूप से दौराहते हुये कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.06.99 को राजस्थान पचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत डोरडा में पेश किया गया।जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई रिपोर्ट, जांच करवाये बिना ही दिनांक 10.06.99 को उसी दिन पट्टा जारी करने का आदेश कर दिया गया।जो प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.06.99 से स्पष्ट है।अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल कोर्ट भीनमाल में प्रार्थीगण के विरूद्व एक दावा प्रस्तुत किया गया कि हमें पट्टे मिले हुये है,जिस पर कब्जा नही था पट्टा शुदा भूखण्ड पर करवाये जा रहे निर्माण कार्य को अप्रार्थीगण द्वारा बाधित किया जा रहा है,अत: अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे।इस दावे से भी स्पष्ट है कि पट्टा जारी वर्ष 1999 से लगाकर आज तक आवंटी का विवादित भूखण्ड पर कब्जा अथवा निर्माण नही रहा है।सिविल कोर्ट भीनमाल द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 03.08.2018 को विवादित भूखण्ड बाबत मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार मौके पर भूखण्ड आवंटीयो का कोई कब्जा नही है। विवादित भूखण्ड के चारो तरफ कांटो की बाड बनी हुई है।बीच में लोहे का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर श्री महादेव गोवर्धन गौधाम पावटी लिखा हुआ है।पास में लोहे की एंगलो पर चदद्रो से बना हुआ छपरा है।उसी के पास मौके पर गायो के पानी पीने का हौज यानि अवाडा बना हुआ है।भूमि मौके पर खाली व खुली पडी है भूमि का उपयोग गायो की आखरीया के काम आने से मौके पर मवेशिया खडी रहती है। जहां गायो को चारा पानी दिया जाता है।विवादित भूमि ग्राम पावटी के खसरा नंबर 335 किस्म गैर मुमकिन सरकारी भूमि है जो पगडंडिया तथा रास्ते (चारागाह के लिए नही) राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।इसके आधार पर यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड की भूमि गैर मुमकिन आबादी नही है।अप्रार्थी के नाम जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा)की शर्त संख्या 8 के अनुसार आवंटी को दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपडा इत्यादि बनाना अनिवार्य होता है जबकि आवंटी द्वारा वर्ष 1999 से लगाकर आज तक इस भूखण्ड पर किसी प्रकार मकान अथवा झोपडा इत्यादि नही बनाया गया है। जिसके आधार पर भी पट्टा निरस्त योग्य है।पट्टे पर आवंटी एवं ग्राम सेवक के हस्ताक्षरो का अभाव है जो आवश्यक होते है।आवंटी को पट्टा किस खसरा नंबर की भूमि पर जारी किया गया, इसका उल्लेख ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही रजिस्टर अथवा पट्टे पर नही है।तथा पट्टा जारी करने से पूर्व भूमि की किस्म आबादी है या नही इस बाबत भी पटवारी हल्का से रिपोर्ट नही ली गई है।आवेदक भूमिहीन है अथवा नही ऐसी भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट नही ली गई है।विवादित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है सरकारी भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा देने का अधिकार नही होने से पट्टा निरस्त योग्य है।ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया जो विधिसंगत नही है।अवैधानिक आदेश बाबत कोई लिमिटेशन लागू नही होती है।फिर भी प्रार्थीगण को पट्टे के संबंध

में जानकरी प्राप्त होते ही यह रिवीजन प्रार्थना पत्र समय सीमा में प्रस्तुत किया गया है।अत:प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 10.6.1999 को पारित प्रस्ताव संख्या 3 को निरस्त फरमाते तथा उक्त प्रस्ताव के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया विक्रय विलेख (पट्टा)दिनांक 15.09.1999 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 10.06.1999 को प्रस्तुत किया गया जिस पर पंचायत द्वारा मौका जांच करने के आधार पर दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी किया गया है।इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में कार्यवाही कर पट्टा जारी नही कर तीन माह की अवधि बाद पट्टा जारी किया गया है।उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थीगण को वर्ष 2009 में होने पर उपखंड अधिकारी भीनमाल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अप्रार्थी बाड बनाकर अतिक्रमण कर रहे है। जिन्हे हटाने पर अनुसूचित जाति/जनजाति के मुकदमें में फसाने की धमकीयां दे रहे है।इस प्रकार प्रार्थीगण को विवादित भूमि के संबंध में 2009 से जानकारी होने के बावजूद भी यह प्रार्थना पत्र वर्ष 2018 में प्रस्तुत किया गया है।जो म्याद बाहर है।तत्पश्चात् वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वर्ष 2009 पावटी के गोलुआ गांव से संबंधित होना कथन किया गया।दिनांक 10.06.1999 को ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव में चार प्रार्थनाओं को ही पट्टे नही दिये बल्कि अन्य व्यक्तियो को भी पट्टे जारी किये गये है।इसके आधार पर दिनांक 10.06.1999 को पारित किया गया प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य नही है।पट्टे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नही होना हमारी जिम्मेदारी नही है और पट्टे पर आवंटी के हस्ताक्षर नही होना किसी प्रकार की अनियमिता भी नही है।सिविल कोर्ट भीनमाल द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में कमिश्नर द्वारा सभी चीजे नई प्रतीत होती है लिखा गया है।इससे यह साबित हो रहा है कि विवादित भूखण्ड पर पूर्व आवंटी का कब्जा रहा है।इन सभी तथ्यो के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाकर पट्टा जारी किया गया है तथा आवंटी का मौके पर कब्जा भी रहा है।अत:प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन भी किया।जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.06.1999 को रियायती दर पर भूखण्ड आवटन-आवेदन पत्र राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 58 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डोरडा में प्रस्तुत किया जाने पर दिनांक 10.06.1999 का बैठक कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 3 में दर्ज कर यह इबारत लिखी गई है कि उपरोक्त प्रार्थीयो को प्लोट रियायती दर पर देने हेतु पूर्व में मौका मुआयना कर दिया गया था जिसके आधार पर पंचायत अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत देने का निर्णय लिया गया,जिसमें ग्राम डोरडा व पावटी की आबादी सन 1991 की जन संख्या के आधार पर 1000 से ज्यादा व 2000 से कम होने पर प्रति वर्गगज 3/- रूपये के हिसाब से 750/-पंचायत कोष में जमा होने के पश्चात् प्रार्थीयो को पट्टे जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।प्रस्ताव दिनांक 10.06.1999 के आधार पर दिनांक 15.09.1999 को अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी होने का कथन अप्रार्थी की ओर से किया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.06.1999 को ही आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्व में मौका मुआयना करने का उल्लेख करते हुये पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है।ग्राम पंचायत द्वारा मौका मुआयना किससे द्वारा कब करवाया गया इसका विवरण प्रस्ताव संख्या 3 में नही है तथा न ही पूर्व में मौका मुआयना करने से संबंधित मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत से प्राप्त हुये रेकर्ड में उपलब्ध है।प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र में विवादित भूखण्ड को ग्राम पावटी के खसरा नबंर 385 में होना बताया गया है जो राजस्व अभिलेख जमाबंदी अनुसार किस्म गैर मुमकिन पगडण्डीयां तथा रास्ते(चारागाह के लिये

नही)राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है।सिविल कोर्ट भीनमाल द्वार नियुक्त मौका कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूखण्ड पर पट्टा धारक का कब्जा नही होकर गायो की आखरीया के उपयोग में लिया जा रहा है।जहां श्री महादेव गौवर्धन गौधाम पावटी लिखा हुआ लोहे का बोर्ड लगा हुआ है,लोहे की चददरो का छपरा बना हुआ है तथा पानी का एक होज बना हुआ है। इसी भूखण्ड पर अप्रार्थी द्वारा स्वंय के नाम पट्टा जारी होना तथा कब्जा होने का कथन किया है लेकिन अपने कथनो में उक्त भूखण्डो को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने के समर्थन में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नही किये है।जबकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूखण्ड को आबादी भूमि नही मानते हुये सरकारी भूमि होना प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है।सरकारी भूमि का आबादी विस्तार हेतु जब तक ग्राम पंचायत को आवंटन नही हो जाता है।तब तक सरकारी भूमि पर ग्राम पंचायत को विक्रय विलेख (पट्टा)जारी करने की शक्तियां प्राप्त नही है।साथ ही अप्रार्थी के नाम जारी पट्टे की शर्त संख्या 8 के अनुसार 2 वर्ष में मकान या झोपडा बनाना अनिवार्य होने के बावजूद भी आवजी अप्रार्थी द्वारा विवादित भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण सन 1999 से आज तक नही किया गया है।अप्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में विवादित भूखण्ड की आराजी को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है तथा न ही विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का पूर्व में कब्जा होना साबित हो रहा है।

उपरोक्तानुसार अप्रार्थी के नाम ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 15.09.1999 को पट्टा जारी करने से पूर्व विवादित भूखण्ड की आराजी आबादी किस्म की है अथवा नही इस बाबत संबंधित पटवारी/तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त नही की गई है।प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं विवादित भूखण्ड से संबधित मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 03.08.2018 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टा धारक अप्रार्थी का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा प्रार्थीगण विवादित भूखण्ड को ग्राम पावटी के खसरा नंबर 385 सरकारी भूमि में होना कथन कर रहे है इसके खण्डन में अप्रार्थी के पक्ष की ओर विवादित भूखण्ड को गैर मुमकिन आबादी भूमि में होना तथा उस पर पट्टा जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर मकान अथवा झोपडा बनाया जाना साबित करने में असफल रहे है।अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.1999 को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर नियमानुसार पट्टा जारी करने से पूर्व संबंधित पटवारी हल्का/तहसीलदार से भूमि की किस्म बाबत रिपोर्ट प्राप्त कर विक्रय विलेख(पट्टा)जारी करने के लिये ग्राम पंचायत डोरडा स्वतंत्र है।

अत:उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत डोरडा द्वारा दिनांक 10.06.1999 को अप्रार्थी संख्या 1 भेराराम के नाम पट्टा जारी करने के प्रस्ताव संख्या 3 को निरस्त करते हुये विक्रय विलेख (पट्टा)दिनांक 15.09.1999 को निरस्त किया जाता है।पत्रावली बाद इन्द्राज शेषर नम्बर से कम हो।

sd

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sd

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर